



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2015/माघ 29, 1936

No. 399]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2015/MAGHA 29, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2015

का.आ. 559(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क के उप-नियम (1) के अनुसरण में; उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों को करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय जोन, लखनऊ में क्षेत्रीय सशक्त समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथा क्षेत्रीय सशक्त समिति कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

- | | |
|---|------------------|
| (i) अध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय जोन, लखनऊ | अध्यक्ष |
| (ii) मुख्य वनपाल या वनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय जोन, लखनऊ की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी | सदस्य |
| (iii) श्री वी.सी. सचेती,
सी 56/बी1, महावीर मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर 302001, राजस्थान
(ई मेल— vinaysacheti@hotmail.com) | अशासकीय
सदस्य |
| (iv) डा. भरत बी. धर,
डी-20, पामपोष इन्क्लेव,
नई दिल्ली-110048, दिल्ली
(ई मेल— bbdhar@yahoo.com , bbdhar@gmail.com) | अशासकीय
सदस्य |
| (v) श्री उमेश मोहन साही,
बी-2/429, चित्रकूट योजना,
रोशन पथ, जयपुर 302021, राजस्थान
(ई मेल— umsahai@gmail.com , umsahai@rediffmail.com) | अशासकीय
सदस्य |
| (vi) उपवनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय जोन, लखनऊ
की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी | सदस्य—सचिव |

2. इसके नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों के निम्न उल्लिखित अधिकारी, उनके अपने-अपने राज्यों में वन भूमि के अपयोजन से संबद्ध प्रस्तावों के परीक्षण के लिए क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठकों में हाजिर होने के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) उत्तर प्रदेश सरकार:

- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश सरकार;
- (ii) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग ।

(ख) राजस्थान सरकार:

- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, राजस्थान सरकार;
- (ii) सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग ।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार:

- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;
- (ii) सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजस्व विभाग ।

3. अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें उक्त नियमों के नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

[फा. सं. 6-21/2014-आरओएचक्यू]

डॉ. एस. एस. नेगी, अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षक)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(REGIONAL OFFICES HEADQUARTERS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2015

S.O. 559(E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4A of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby constitutes the Regional Empowered Committee at Regional Office, Central Zone, Lucknow (hereinafter referred to as the Regional Empowered Committee) to exercise the powers and perform the functions specified therein, comprising of the following Members, namely:—

- | | | |
|-------|---|--------------------------------|
| (i) | Head of the Regional Office, Central Zone, Lucknow | Chairperson |
| (ii) | Senior most officer from amongst officers in the rank of Chief Conservator of Forests or Conservator of Forests in the Regional Office, Central Zone, Lucknow | Member |
| (iii) | Shri V. C. Sacheti,
C56/B1, Mahaveer Marg, C- Scheme,
Jaipur 302001, Rajasthan
(E-mail- vinaysacheti@hotmail.com) | Non-official
Member |
| (iv) | Dr. Bharat B. Dhar,
D-20, Pamposh Enclave,
New Delhi 110048, Delhi
(E-mail- bbdhar@yahoo.com, bbdhar@gmail.com) | Non-official
Member |
| (v) | Shri Umesh Mohan Sahai,
B-2/429, Chitrakoot Yojna,
Roshan Path, Jaipur 302021, Rajasthan
(E-mail- umsahai@gmail.com, umsahai@rediffmail.com) | Non-official
Member |